निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 878) पटना, मंगलवार, 3 सितम्बर 2024

सं0 भवन / मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–48 / 2024–5687(भ)
भवन निर्माण विभाग

संकल्प
26 जुलाई 2024

विषय :– **₹75,86,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ छियासी लाख रुपये)मात्र की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल बीस आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।**

2. गर्दनीबाग, पटना, बिहार में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल 20 अद्द मुख्य आवासीय बंगलों (G+1) का निर्माण (क्षेत्रफल 111292.8 वर्गफीट), आधुनिक सुविधाओं के साथ क्लब हाउस (G+1) का निर्माण (क्षेत्रफल 8332.33 वर्गफीट), एक अद्द सिक्यूरिटी बैरक एवं स्टाफ एमिनिटी–सह–चेंज रूम का निर्माण (क्षेत्रफल 5689.24 वर्गफीट), 06 अद्द वॉच टॉवर का निर्माण (क्षेत्रफल 5810.4 वर्गफीट) एवं 20 अद्द संतरी पोस्ट का निर्माण (क्षेत्रफल 4304 वर्गफीट) का निर्माण कार्य होना है।

3. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹75,86,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ छियासी लाख रुपये)मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 28.06.2024 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक–4948(भ) अनु0, दिनांक–02.07.2024 द्वारा प्रेषित है। योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 18 माह होगी।

4. राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹38.00 करोड़ तथा 2025–26 में ₹37.86 करोड़ का व्यय किया जायेगा। जिसका व्यय "मांग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष–700–अन्य आवास उपशीर्ष–0101–अन्य आवास विपत्र कोड–03–4216017000101 के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5. गर्दनीबाग, पटना में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल बीस आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण योजना पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–19.07.2024 की बैठक में मद संख्या–23 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन

हेतु कुल ₹75,86,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ छियासी लाख रुपये)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. आदेशः– वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 878-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in